

बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (श्रम पक्ष)

कार्यालय आदेश

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना ज्ञापांक-13 दिनांक-30.06.2026 द्वारा राजपत्रित पदाधिकारियों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन किया गया है। इसके फलस्वरूप कार्यालय आदेश ज्ञापांक-237 दिनांक-15.01.2026 द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमिटी के अधिकांश सदस्यों को वर्तमान में धारित पद से स्थानान्तरित करते हुए नव पदस्थापित किया गया है। तदालोक में श्रमायुक्त कार्यालय (मु0) के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी संवर्गों के अराजपत्रित कर्मियों (श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सहित) को ACP/MACP का लाभ प्रदान किये जाने हेतु श्रमायुक्त, बिहार की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमिटी का पुनर्गठन निम्नरूपेण किया जाता है :-

- | | | | |
|-------|---|---|-------|
| (i) | श्री विजय कुमार,
अपर श्रमायुक्त, बिहार। | — | सदस्य |
| (ii) | श्री राजेश कुमार,
संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार। | — | सदस्य |
| (iii) | श्री अकबर जावेद आजाद,
संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार।
(अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधि) | — | सदस्य |
| (iv) | श्री शशि शेखर,
सहायक श्रमायुक्त (प्रवासी)। | — | सदस्य |
| (v) | सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि
के रूप में मनोनित पदाधिकारी। | — | सदस्य |
| (vi) | श्री सुशील कुमार,
विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार
(वित्त विभागीय प्रतिनिधि)। | — | सदस्य |

ह0/-

(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-2/बी0एस0सी0ई01-59/2016 श्र0सं0- 4137 पटना, दिनांक-16/7/26

प्रतिलिपि:- अपर श्रमायुक्त, बिहार/सभी संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार/उप श्रमायुक्त (मु0)/
सहायक श्रमायुक्त (प्रवासी)/श्रमायुक्त के सचिव/सभी अवर सचिव (श्रम पक्ष)/सभी
प्रशाखा पदाधिकारी (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को
विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/7/26
श्रमायुक्त, बिहार।